183

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म0 प्र0)

क्र0 R . 2905 - III /14 सन् 2014

श्रीमती मुन्नीराजा पत्नी श्री रनमत सिंह
निवासी ग्राम – सांदनी, तहसील– राजनगर
जिला – छतरपुर म0प्र0 ....आवेदिका / निगरानीकर्ता

बनाम

1) गनेश सिंह तनय श्री दुर्ग सिंह ठाकुर
2) भईयन सिंह तनय श्री जीत सिंह
3) हल्के भैया तनय श्री जीत सिंह
4) खूब सिंह तनय श्री जीत सिंह
5) नत्थू सिंह तनय श्री रंजीत सिंह
6) मूरत सिंह तनय श्री रंजीत सिंह
निवासीगण ग्राम सांदनी , तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर म0प्र0 .... अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

दिनांक 4-9-14 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि0 द्वारा प्रस्तुत / 4-9-14

निगरानी बिरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के अपील प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.07.14 से दुःखी होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

महोदय

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत करते है :–

1. यह कि ग्राम सांदनी स्थित भूमि खसरा नं0 769, 775 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुझ निगरानीकर्ता के नाम पर राजस्व रिकार्ड में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत सांदनी के नामांतरण पंजी क्रमांक 3 में पारित आदेश दिनांक 14.04.2010 को दर्ज की गई है। तथा उक्त भूमि पर मुझ निगरानीकर्ता का कब्जा है। एवं उक्त भूमि ग्राम सांदनी में एन0टी0पी0सी0 सुपर थर्मल पॉवर बरेठी का प्लांट लगने से उक्त भूमि

4/9/2014

क्रमशः //2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2905-तीन/2014 जिला छतरपुर मुन्नीराजा विरूद्ध गनेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 23-07-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-09-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

18.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य